



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224093
CG-DL-E-01012021-224093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4223]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 4223]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4813(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2716(अ), तारीख 11 अगस्त 2020, भारत के राजपत्र सं० 2410 – तारीख 11 अगस्त 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 04 सितम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला: राजगढ़			राज्य: मध्यप्रदेश		
तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे/प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहगढ़	तुर्कीपुरा	190	00	08	06
		172	00	00	42
		189	00	06	19
		174	00	11	08
		166	00	17	12
		175	00	04	67
		165	00	18	78
		164	00	07	50
		201	00	12	80
		203	00	03	54
		202	00	08	61
		12	00	21	67
		11	00	14	64
		8	00	01	84
		5	00	20	54
नरसिंहगढ़	सेवास जागी	4	00	16	81
		1	00	05	14
		169	00	03	06
नरसिंहगढ़	गीला खेड़ी	167	00	01	76
		776	00	21	98
		777	00	13	18

[फा. सं. आर.-11025(15)/5/2020-ओ-आर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New delhi, the 30th December, 2020

S.O. 4813(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 2716(E) Dated 11 August 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 2410 dated 11 August 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline Crude Oil in tehsil Narsingharh District Rajgarh In the state of Madhya Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 04 September 2020 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District: Rajgarh			State: Madhya Pradesh		
Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
Narsingharh	Turkipura	190	00	08	06
		172	00	00	42
		189	00	06	19
		174	00	11	08
		166	00	17	12
		175	00	04	67
		165	00	18	78
		164	00	07	50
		201	00	12	80
		203	00	03	54
		202	00	08	61
		12	00	21	67
		11	00	14	64
		8	00	01	84
		5	00	20	54

		4	00	16	81
		1	00	05	14
Narsinghgarh	Sivas	169	00	03	06
		167	00	01	76
Narsinghgarh	Gila khedi	776	00	21	98
		777	00	13	18

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.